न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

1 7/8 20/8 28/9

द0प्र0सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम0पी0 वाद संख्या– 207 / 2019

प्रथम पक्ष :– 1. मनोज कुमार उर्फ मनोज सिंह, पिता स्व0 रामाशीष सिंह, सा0 तारानगर चास, थाना चास, जिला बोकारो 2. महेश प्रसाद सिंह पिता स्व0 अर्जुन प्रसाद सिंह, सा0 सेक्टर 9/सी, स्ट्रीट 26 क्वार्टर नं0 979 थाना हरला, जिला बोकारो 3. प्रमोद कुमार पिता स्व0 राम इकबाल चौधरी, सा0 तारानगर, चास, जिला बोकारो।

–: बनाम :–

द्वितीय पक्ष :– 1. मुरली मनोहर पिता सूर्यनारायण सिंह, सा0 सेक्टर 3/सी, क्वार्टर नं0 373, थाना बी0एस0सिटी 2. सत्यजीत होता पिता स्व0 आशुतोष होता सा0 सेक्टर 3/बी, क्वार्टर नं0 419, थाना बी0एस0सिटी, 3. शशिकान्त सिंह पिता रामजी प्रसाद सिंह सेक्टर 4/ए स्ट्रीट 5, क्वार्टर नं0 2246, थाना सेक्टर 4, 4. रामजनम सिंह, पिता स्व0 रामप्रसाद सिंह, सा0 सेक्टर 5 सेन्टर मार्केट प्लॉट नं0 ए/3 थाना सेक्टर 5, 5. श्याम नन्दन सिंह उर्फ अभय सिंह पिता स्व0 राजदेव सिंह, सा0 सेक्टर 5 सेन्टर मार्केट प्लॉट नं0 ई/5 थाना सेक्टर 6, 6. प्रवीण कुमार पिता ज्वाला प्रसाद सा0 सुभाष को–ऑपरेटिव भरा, सुल्तान नगर चास, थाना चास, जिला बोकारो।

कार्यवाही

हरला, थाना अप्राथमिकी संख्या 12/19 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी हरला थाना से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच पटेल सेवा संघ बोकारो एवं सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 को लेकर विवाद है जिससे कभी भी विधि–व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0स0 की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति–व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध धारा 107 द0प्र0स0 की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही द्वितीय पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 17.7.19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रूपये का बन्ध–पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभुतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

(हस्ताक्षर) 1/07

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

17/7/19 सूचना का तामिला प्राप्त।
प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है
द्वि० पक्ष के क्र० 1, 5, 6 का हाजरी है। S.C.
हेतु समय का आवेदन है।
दि० 07/8/19 को रखें।
(हस्ताक्षर) 17/7/19

(हस्ताक्षर) 23/07/1

7/8/19 उभय पक्ष अनुपस्थित।
द्वि० पक्ष से एक० (उप० (डी. नं० 3) ^ तीन 1,5,6 का प्रति०।
दि० 30/8/19 को रखें।

[signature]
7/8/19

30/8/19 माननीय उच्च न्यायालय झार० राँची का कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के असामयिक निधन के कारण न्यायिक कार्य से अलग रहे।
दिनांक 28/9/19 को रखें

28/9/19 उभय पक्ष अनुपस्थित। S.D.M Chas
दिनांक 30/10/19 को रखें

30/10/19 उभय पक्ष अनुपस्थित। S.D.M Chas
दिनांक 27/11/19 को रखें

27/11/19 उभय पक्ष अनुपस्थित। S.D.M Chas
दिनांक 24/1/20 को रखें

24/1/20 द्वि० पक्ष के क्र० 1, 5, 6 का S.D.M Chas
हाजरी है तथा क्र० 2 का धारा 115 का आवेदन है 310 हेतु समय का आवेदन सूचना आवेदन एवं प्रथम पक्ष पर भी कार्यवाही चलाने हेतु आवेदन है।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2nd party version – Both parties stay in peace 1st party absent and continued absence in the past date shows that they are in peace Case is dropped. Sd/- 22/1/20	Sd/- 04/08/20

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.08.08 15.28.20 +05:30
Location: 192.168.1.3